20.06.24 - वकील वादी उपस्थित नहीं। वादी स्वयं भी उपस्थित नहीं। इनकी अनुपस्थिति बाबत कोई कारण भी पेश नहीं हुआ। बार-बार आवाज लगवाई गई। अतः यह वाद-पत्र अदम पैरवी अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय मे शुमार की जाकर नम्बर से कम हो तथा तरतीब तकमिल होकर दाखिल दफ्तर हो। G